

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियलस जज

जजवर न साक्षीय वाक्यात्म
जो किन हुकम को
साक्षीय के जारी हुए

पत्रावली पेच ए वकील फ्लकार 3908
वादी शैजी द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर
निवेदन किया है कि पत्रावली तलब कर
राप्तीनामा हो जाने से विडो के आधार
पर वाद खारिज करने का बत पेच किया।
हमने प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। बाद
अवलोकन हम यह पाते हैं कि प्रार्थना पत्र स्वीकार
किये जाने योग्य है।

अतः वादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र
स्वीकार किया जाता है पत्रावली विडो के आधार
पर खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुक्र
दोमर नम्बर से कम की जाकर 4 दिवस 5 फर
है। निर्णय आज दिनांक 7/11/20 को सरे
कौन्स सुनाया गया।

शैजी

7/11/20
8-11-20

R